

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 876/2024

अनवान : -

1. बलराज पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. शान्ति देवी पत्नी भादरराम भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. विनोद देवी पुत्री भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सिलोचना देवी पुत्री भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण


निर्णय

दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 बी बाराणी तहसील नोहर के खाता स0 158/158 की कुल 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 5 ए बाराणी तहसील नोहर के खाता स0 159/147 की कुल 5.0210 हैक्ट भूमि वादी के पिता भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भादरराम के देहान्त के बाद उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम विरासतन दर्ज हुई।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की सभी के विरासतन दर्ज हुई है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो की वादी व प्रतिवादीगण की माता है ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो की वादी व प्रतिवादीगण की माता है ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 158/158 की कुल 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 159/147 की कुल 5.0210 हैक्ट भूमि वादी के पिता भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भादरराम के देहान्त के बाद उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम विरासतन दर्ज हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि विरासतन वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा भादरराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी




उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 158/158 की कुल 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 159/147 की कुल 5.0210 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 876/2024

अनवान : -

1. बलराज पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. शान्ति देवी पत्नी भादरराम भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. विनोद देवी पुत्री भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सिलोचना देवी पुत्री भादरराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 876 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविकान्त स्वामी तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 158/158 की कुल 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 159/147 की कुल 5.0210 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर